न्यायमूर्तिगण जवाहर लाल गुप्ता और वी. एम. जैन के समक्ष

फैकल्टी एसोसिएशन, पीजीआई, चंडीगढ़ व अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य - प्रत्यर्थीगण

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11005 वर्ष 1999

16सितंबर, 1999

1966 का स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम संख्या *51*-अनुसूची *1,* सी. एल. *61*-रेग। *22*-स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, नियम, *1967*-आर. एल. *7*-उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना तदर्थ आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को सेवा के नियमितीकरण के लिए एक योजना तैयार करने के लिए पी. जी. आई. को एक आदेश का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है-पी. जी. आई. राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने के नाते योग्यता के आधार पर समझौता नहीं कर सकता है-ऐसे सहायक प्रोफेसरों के पास केवल अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करके विचार करने का दावा होता है, जो एक विज्ञापन के तहत पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं-पी. जी. आई. में उनका पिछला अनुभव विचार के लिए प्रासंगिक कारकों में से एक होगा-किसी न किसी कारण से पदों को भरने में देरी-डॉ. के. एल. नरसिम्हन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने की आवश्यकता थी और इसके बाद शासी निकाय के निर्णय के लिए निदेशक पी. जी. आई. को सामान्य और आरक्षित श्रेणी दोनों के साथ बातचीत करने और प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं को शुरू में 89 दिनों की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था।इस नियुक्ति को समय-समय पर बढ़ाया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ वर्षों तक जारी रहा।यह भी सच हो सकता है कि नियुक्ति शुरू में निदेशक द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की गई थी जिसमें "विभाग के प्रमुख और संबंधित विभाग के दो वरिष्ठ संकाय सदस्य शामिल थे।"इसके बाद, राष्ट्रपति द्वारा भी इसका नवीनीकरण किया गया होगा।फिर भी, यह एक तदर्थ नियुक्ति बनी हुई है।यह नियमित रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा की गई नियुक्ति नहीं थी जैसा कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, नियम, 1967 के प्रावधानों के तहत विचार किया गया था।नियम 7 स्पष्ट रूप से विचार करता है कि "सभी चयन समितियों" का गठन संस्थान द्वारा संकाय पदों पर भर्ती के लिए किया जाएगा।'संस्थान' का गठन अधिनियम की धारा 5 के तहत किया गया है। नियम 7 के तहत विचार की गई किसी भी समिति ने कभी भी याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार नहीं किया था या उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया था।इसके अलावा, समूह ए के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्तियां करने की शक्ति विशेष रूप से शासी निकाय में निहित है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति या विस्तार का कोई आदेश कभी नहीं दिया गया था।इस प्रकार, नियुक्ति केवल तदर्थ थी और नियमित नहीं थी।यह नियमित नियुक्तियां करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सख्त अनुरूप नहीं था।

(पैरा 10)

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने काफी समय तक काम किया हो।उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो।फिर भी, संसद के जनादेश के अनुसार, संस्थान के पास "स्वास्थ्य गतिविधि की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम क्रम की शैक्षिक सुविधाएं" प्रदान करने की जिम्मेदारी है।इसे उपलब्ध प्रतिभाओं में से सर्वश्रेष्ठ का चयन और नियुक्ति करनी होती है।यह संभावना नहीं है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति जो पहले से ही विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, वे पीजीआई में आकर सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करना चाहते हैं।वे याचिकाकर्ताओं से उतने ही अच्छे या बेहतर भी हो सकते हैं।यह उचित होगा कि याचिकाकर्ताओं सहित सभी पात्र व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाए।यह उपयुक्त प्राधिकारी का काम होगा कि वह मानदंड निर्धारित करे और उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता पर विचार करे।नियमितीकरण की कोई भी योजना निस्संदेह याचिकाकर्ताओं के हित में होगी, लेकिन यह उस क़ानून की भावना के विपरीत होगी जो सर्वोत्तम व्यक्तियों के चयन और नियुक्ति पर जोर देता है।

(पैरा 12)

इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया कि तदर्थ नियुक्तियों को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।हालाँकि, यदि वे पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे।उनके दावे पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।बेशक, अनुभव हमेशा विचारों में से एक है।

(पैरा 17)

इसके अतिरिक्त, शासी निकाय ने इच्छा व्यक्त की थी कि "निदेशक पीजीआई को संकाय सदस्यों के दोनों समूहों

यानी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में बात करनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन के संबंध में एक लिखित सहमति तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।"शासी निकाय का यह निर्णय, जिसे हम पालन करने के लिए विवश महसूस करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण था।दोनों पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लड़ाई लड़ी थी।इस मुद्दे का फैसला हो चुका था।संस्थान को इस निर्णय को लागू करना पड़ा।ऐसा करना कर्तव्य के अधीन था।उसे बिना किसी देरी या बाधा के इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए था।शासी निकाय बिना किसी उचित कारण के आवश्यक कार्य करने में विफल रहा।उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन को "लिखित सहमति" के अधीन नहीं किया जा सकता था।शासी निकाय, जिसे निर्णय को पूरा करने का कर्तव्य सौंपा गया था, ने इसके कार्यान्वयन में अनावश्यक रूप से देरी की थी।हम इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते।

(पैरा 20)

बी. एस. वालिया, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता

डी. एस. नेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायक अधिवक्ता मुनीश भारद्वाज, वास्ते प्रत्यर्थीगण ।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, न्यायमूर्ति

(1) पोस्ट 1 ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के फैकल्टी एसोसिएशन के साथ-साथ *28* तदर्थ सहायक प्रोफेसर भी याचिकाकर्ता हैं।वे शिकायत करते हैं कि संस्थान में सहायक प्रोफेसरों के 105 पद "उत्तरदाताओं की निष्क्रियता के कारण पिछले कई वर्षों से खाली हैं।" याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ, "केवल 40 सहायक प्रोफेसरों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है।"इस 'तदर्थवाद' के परिणामस्वरूप, शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल को नुकसान हुआ है।इससे भी अधिक, उच्च प्रशिक्षित, योग्य और प्रेरित डॉक्टरों का दोहन किया गया है जो बिना किसी भेदभाव के वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं।

प्रत्यर्थी-संस्थान में उनकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में निश्चितता याचिकाकर्ताओं का कहना है कि तदर्थ संकाय को "कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अनुकूल नहीं होने वाले परिहार्य भेदभाव के अधीन किया गया है।"अभ्यावेदन के बावजूद, प्रतिवादीगण ने आवश्यक कार्य नहीं किए हैं।इसलिए उन्होंने यह याचिका दायर की है।याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि प्रतिवादीगण को "संस्थान में तदर्थ आधार पर काम कर रहे सहायक प्रोफेसरों की सेवा को नियमित करने के लिए एक योजना तैयार करने" का निर्देश दिया जाए।वैकल्पिक रूप से, वे प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादीगण को "विज्ञापन के अनुसार सहायक प्रोफेसरों के 94 नियमित और 11 अवकाश रिक्तियों के लिए चयन करने का निर्देश दिया जाए-9 नवंबर, 1998 के विज्ञापन के माध्यम से और उत्तरदाता-संस्थान में उक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिए जितनी जल्दी हो सके"।

(2) प्रत्यर्थी-संस्थान के निदेशक डॉ. बी. के. शर्मा द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से जवाबदावा दायर किया गया ।यह माना गया है कि "सेवा के नियमितीकरण" के संबंध में याचिकाकर्ताओं का दावा मान्य नहीं है।तदर्थ सहायक प्रोफेसरों को नियमित करने के लिए नियमों और विनियमों में कोई प्रावधान नहीं है।नियमित चयन समिति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति, समूह 'सी' और 'डी' पदों के लिए चयन की उचित प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, जबकि संस्थान के अध्यक्ष के पास समूह 'बी' पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति है।समूह 'ए' पदों की नियुक्ति प्राधिकरण शासी निकाय है।नियमित भर्ती में देरी के बारे में, यह कहा गया है कि आरक्षण के विषय पर पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण आवश्यक कार्य नहीं किया जा सका।उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 17 अप्रैल, 1998 के अपने फैसले में अंततः आरक्षण के मुद्दे पर फैसला सुनाया और कहा कि किसी एक पद संवर्ग में कोई आरक्षण नहीं हो सकता है।पी. जी. आई., चंडीगढ़ के मामले में सिविल अपील सं. 3175,1997 में की गई पुनरीक्षण याचिका को इसके बाद अनुमति दी गई और सिविल अपील सं. 3175,1997 में उच्चतम न्यायालय के 2 मई, 1997 के फैसले को दरकिनार कर दिया गया। आरक्षण के मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फ़ैसले दिनांकित 18 अगस्त, 1998 सिविल अपील सं. 3997 वर्ष 1998 सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ बनाम एससी/एसटी मेडिकल एसोसिएशन पंजीकृत, दिल्ली व अन्य में स्पष्ट किया गया था। ।यह पत्र दिनांकित 21 नवंबर, 1998 द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था। मंत्रालय ने मामले को आगे व्यक्तिगत सलाहकार विभाग को भेज दिया।यह सलाह 5 अक्टूबर, 1998 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई थी।सलाह के अनुसार, संकाय पदों के आरक्षण पर काम किया गया था।

(3) प्रत्यर्थीगण के अनुसार, संकाय पदों का विज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय के 17 अप्रैल, 1998 के फैसले के आलोक में किया गया था।एससी/एसटी एसोसिएशन ने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था।कानूनी राय मांगी गई।सलाह मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई।इच्छा के अनुसार, 6 अप्रैल, 1999 को आयोजित बैठक में इस मामले को शासी निकाय के समक्ष रखा गया था।शासी निकाय ने इस मामले में जाने के लिए एक समिति का गठन किया।4 मई, 1999 को आयोजित बैठक में समिति ने अपनी सिफारिश की जिसे 22 जून, 1999 को शासी निकाय के समक्ष रखा गया।शासी निकाय ने इच्छा व्यक्त की कि निदेशक को संकाय सदस्यों के दोनों

समूहों से बात करनी चाहिए और लिखित सहमति तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।इसके बाद इस मामले को अगली शासी निकाय की बैठक में वापस लाया जाना चाहिए।चूंकि शासी निकाय की बैठक होने की संभावना नहीं थी, इसलिए इस मामले को स्वास्थ्य मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया-10 अगस्त, 1999 के पत्र के माध्यम से।27 अगस्त, 1999 के पत्र के माध्यम से, मंत्रालय ने पदों के समूह के बारे में सलाह दी है "सिवाय इसके कि जहां शैक्षिक योग्यता पूरी तरह से अलग निर्धारित की गई है।"इस पत्र की एक प्रति अनुलग्नक आर. आई. के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की सलाह के अनुसार रिक्त संकाय पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा।"याचिका के प्रत्येक पैरा का जवाब एक ही तर्ज पर है।

(4) याचिकाकर्ताओं ने इस लिखित बयान की प्रतिकृति दायर की है।यह बताया गया है कि उन्हें "विधिवत गठित समिति द्वारा अर्जित साक्षात्कार और पदों के विज्ञापन के बाद" तदर्थ आधार पर सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था।याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रपति के पास पीजीआई अधिनियम के विनियमन 22 और अनुसूची I के खंड 61 के तहत तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियां करने की पूरी शक्तियां हैं। उनका आरोप है कि "लगभग पाँच वर्षों के लिए नियमित चयन आयोजित करने में देरी केवल उन पदों के संबंध में साक्षात्कार आयोजित करने के लिए प्रतिवादीगण की निष्क्रियता के कारण है जो एक से अधिक अवसरों पर यानी 1995,1997 और 1998 में विज्ञापित किए गए थे।"यह भी बताया गया है कि 27 अगस्त, 1999 के पत्र के अनुसरण में, "संस्थान ने 6 सितंबर, 1999 को ट्रिब्यून में संशोधित आरक्षण सूची को शामिल करते हुए एक शुद्धिपत्र जारी किया है।"एक प्रति अनुलग्नक पी. 6 के रूप में संलग्न की गई है।योग्य उम्मीदवारों को 30 सितंबर, 1999 तक आवेदन करने के लिए कहा गया है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता रिट याचिका में किए गए अपने दावे को दोहराते हैं।

(5) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तगण को सुना गया।विद्वान अधिवक्ता श्री बी. एस. वालिया ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को लंबे समय तक ऐड हॉक आधार पर बने रहने की अनुमति दी गई है।उनके दावे बाबत नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। उक्त अधुवक्ता ने डॉ. शशि कांत मिश्रा व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य, (1) और डॉ. ए. के. जैन व अन्य बनाम भारत संघ वि अन्य *(2)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उल्लेख किया।उन्होंने तर्क दिया कि संस्थान को उपलब्ध रिक्तियों को तुरंत भरने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(6) दूसरी ओर, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण श्री डी. एस. नेहरा ने तर्क दिया कि ऐड हॉक आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादीगण ने जानबूझकर मामलों में देरी नहीं की है।इन पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास किया जा रहा है।

(7) विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का अधिकार है कि "प्रतिवादीगण को सहायक प्रोफेसरों की सेवा के नियमितीकरण के लिए एक योजना तैयार करने का आदेश देते हुए जो प्रत्यर्थी-संस्थान में तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं" एक अनिवार्य रिट जारी की जाए?

(8) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को 1966 के अधिनियम संख्या 51 द्वारा निगमित किया गया था।धारा 2 द्वारा, संस्थान को "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया था।धारा 12 उन उद्देश्यों को मूर्त रूप देती है जिन्हें संस्थान को प्राप्त करना है।ये हैं "चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानक को प्रदर्शित करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा में शिक्षण के पैटर्न को विकसित करना"; "स्वास्थ्य गतिविधि की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम क्रम की शैक्षिक सुविधाओं को एक स्थान पर लाना"; और "विशेषज्ञों और चिकित्सा शिक्षकों की देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना"।संस्थान के कार्यों को धारा 13 में विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है, इस प्रकार, संस्थान को "कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम क्रम की शैक्षिक सुविधाएं" प्रदान करनी होती हैं।धारा 12 में प्रदत्त संसद का अधिदेश स्पष्ट और स्पष्ट है।इसे पूरा करना पड़ता है।

(9) इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ऊपर दिए गए प्रश्न पर विचार किया गया।

(10) मान लीजिए कि याचिकाकर्ता संख्या 2 से 29 और कुछ अन्य को शुरू में *89* दिनों की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था।इस नियुक्ति को समय-समय पर बढ़ाया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ वर्षों तक जारी रहा।यह भी सच हो सकता है कि नियुक्ति शुरू में निदेशक द्वारा सिफारिश पर की गई थी।

(1) 1987 (पूरक।) एससीसी 495
(2) 1987 (पूरक।) एससीसी 497

एक समिति "जिसमें संबंधित विभाग का प्रमुख शामिल हो।"इसके बाद, राष्ट्रपति द्वारा भी इसका नवीनीकरण किया गया होगा।फिर भी, यह एक तदर्थ नियुक्ति बनी हुई है।यह नियमित रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा की गई नियुक्ति नहीं थी, जैसा कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के नियमों 1967.Rule 7 के प्रावधानों के तहत विचार किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "सभी चयन समितियों" का गठन संस्थान द्वारा संकाय पदों पर भर्ती के लिए किया जाएगा।'संस्थान' अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित किया गया है। नियम 7 के तहत विचार की गई किसी भी समिति ने कभी भी याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार नहीं किया था या उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया था।इसके अलावा, समूह ए के पदों पर नियमित आधार

पर नियुक्तियां करने की शक्ति विशेष रूप से शासी निकाय में निहित है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति या विस्तार का कोई आदेश कभी नहीं दिया गया था।इस प्रकार, नियुक्ति केवल तदर्थ थी और नियमित नहीं थी।यह नियमित नियुक्तियां करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सख्त अनुरूप नहीं था।

(11) श्री वालिया ने तर्क दिया कि भले ही नियुक्ति शुरू में निदेशक द्वारा की गई थी, लेकिन विस्तार राष्ट्रपति की मंजूरी से दिया गया था।उन्होंने विनियमों की अनुसूची I में क्रम संख्या 61 में प्रविष्टि का उल्लेख किया।इस प्रविष्टि के अवलोकन से पता चलता है कि शक्ति का प्रयोग केवल तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के लिए किया जा सकता है।यह अपनी प्रकृति में एक सीमित अवधि के लिए है।प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के पदों के मामले में, नियुक्ति "एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं" हो सकती है।व्याख्याताओं के मामले में, यह लंबी अवधि के लिए भी हो सकता है।फिर भी, यह व्यवस्था अस्थायी या अस्थायी बनी हुई है।यह नियमित नहीं है।

(12) ऐसा हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने काफी समय तक काम किया हो।उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा होगा।फिर भी, संसद के जनादेश के अनुसार, संस्थान के पास "स्वास्थ्य गतिविधि की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम क्रम की शैक्षिक सुविधाएं" प्रदान करने की जिम्मेदारी है।इसे उपलब्ध प्रतिभाओं में से सर्वश्रेष्ठ का चयन और नियुक्ति करनी होती है।यह संभावना नहीं है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति जो पहले से ही विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, वे पीजीआई में आकर सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करना चाहते हैं।वे याचिकाकर्ताओं से उतने ही अच्छे या बेहतर भी हो सकते हैं।यह उचित होगा कि याचिकाकर्ताओं सहित सभी पात्र व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाए।यह उपयुक्त प्राधिकारी का काम होगा कि वह मानदंड निर्धारित करे और उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता पर विचार करे।नियमितीकरण की कोई भी योजना निस्संदेह याचिकाकर्ताओं के हित में होगी, लेकिन यह उस क़ानून की भावना के विपरीत होगी जो सर्वोत्तम व्यक्तियों के चयन और नियुक्ति पर जोर देता है।

(13) श्री वालिया ने डॉ. शशि कांत मिश्रा के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का उल्लेख किया।यह एक ऐसा मामला था जिसमें अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद सिविल सहायक सर्जनों के पदों को नहीं भरा गया था।इस स्थिति में, उनके अध्यक्षों ने बिहार के लोक सेवा आयोग को हर तरह से परीक्षा पूरी करने और सफल उम्मीदवारों के नाम राज्य सरकार को सूचित करने का निर्देश दिया।वर्तमान मामले में इस फैसले का इस मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं है।

(14) जहाँ तक ए. के. जैन के मामले *(उपरोक्त)* में निर्णय का संबंध है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि नियुक्तियाँ रेलवे में सहायक चिकित्सा अधिकारियों और सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारियों के पदों से संबंधित हैं।आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि यह "मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में" था कि उनके संरक्षक अधिकारियों को उन व्यक्तियों के दावों पर विचार करने का निर्देश देने के लिए प्रसन्न थे जिन्हें शुरू में नियमितीकरण के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था।हमारे विचार में, सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के बीच एक आवश्यक अंतर है जो एक नागरिक औषधालय या अस्पताल में काम कर सकता है और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में सहायक प्रोफेसर के पद के बीच एक आवश्यक अंतर है।दूसरा, हम याचिकाकर्ताओं के वकील से सहमत नहीं हैं कि उनके लॉर्डशिप का निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि यदि किसी व्यक्ति ने चार साल की अवधि के लिए पीजीआई में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम किया है, तो वह अपनी सेवा को नियमित करने का हकदार है।

(15) इस प्रकार, अधिवक्ता इन निर्णयों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है।

(16) हमारे विचार में, पी. जी. आई. राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।यह उच्चतम क्रम की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक दायित्व के तहत है।इसे विभिन्न विशेषताओं और रात्रिभोज विशेषताओं में कर्मियों को प्रशिक्षित करना पड़ता है ताकि देश में मेडिकल कॉलेजों के लिए शिक्षक प्रदान किए जा सकें।यह योग्यता से समझौता नहीं कर सकता।इसे खुले विज्ञापन द्वारा सभी संकाय पदों का चयन करना चाहिए और भरना चाहिए, और सभी योग्य उम्मीदवारों के दावों पर विचार करने के बाद, केवल सर्वश्रेष्ठ और किसी और को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।नियमितीकरण सहित किसी भी विधि से बचना होगा जिसके परिणामस्वरूप योग्यता कम हो जाएगी।

(17) इस प्रकार, हम पहले प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध देते हैं।हमारा मानना है कि ऐड हॉक नियुक्तियों को अपनी सेवाओं को नियमित करने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।हालाँकि, यदि वे पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे।उनके दावे पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।बेशक, अनुभव हमेशा विचारों में से एक है।

(18) तब यह तर्क दिया गया कि संस्थान जानबूझकर चयन में देरी कर रहा है।

(19) घटनाओं का क्रम ऊपर देखा गया है।यह स्पष्ट है कि पदों का विज्ञापन एक से अधिक बार किया गया है।पहला विज्ञापन वर्ष 1990 में जारी किया गया था।ये पद अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित थे।डॉ. के. एल. नरसिम्हन और डॉ. इंदु धारा ने 1990 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 15302 के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था।इस याचिका का निर्णय 9 मार्च, 1992 के आदेश के माध्यम से किया गया था।इसके बाद, आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच लड़ाई लगभग जारी रही है।इस प्रक्रिया में, संकाय पदों पर चयन और नियुक्तियों में देरी

हुई है।इस स्थिति में, 17 अप्रैल, 1998 तक चयन करने में विफलता के लिए संस्थान को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।इसी तारीख को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 1997 की सी. ए. संख्या 3175 (पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रीसर्च बनाम 1997) में 1997 की पुनर्विचार याचिका (सी) संख्या 1749 को फैसला किया था। संकाय संघ और अन्य) और आधिकारिक रूप से कहा कि "एक पद संवर्ग में कोई आरक्षण नहीं हो सकता है।"हालाँकि, अप्रैल, 1998 के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले को एक साल से अधिक समय तक अनावश्यक रूप से घसीटा गया था।उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्पष्ट था।प्रतिवादीगण के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।फिर भी, मामला बार-बार एक छोर से दूसरे छोर तक उछाला गया।

(20) निदेशक ने घटनाओं का क्रम दिया है।उन्होंने इस मामले को शासी निकाय के समक्ष रखने के निर्णय का उल्लेख किया है।यह भी कहा गया है कि शासी निकाय ने इच्छा व्यक्त की थी कि "निदेशक पीजीआई को संकाय सदस्यों के दोनों समूहों यानी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में बात करनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन के संबंध में एक लिखित सहमति तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।"शासी निकाय का यह निर्णय, जिसे हम पालन करने के लिए विवश महसूस करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण था।दोनों पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लड़ाई लड़ी थी।इस मुद्दे का फैसला हो चुका था।संस्थान को इस निर्णय को लागू करना पड़ा।ऐसा करना कर्तव्य के अधीन था।उसे बिना किसी देरी या बाधा के इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए था।शासी निकाय बिना किसी उचित कारण के आवश्यक कार्य करने में विफल रहा।उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन को "लिखित सहमति" के अधीन नहीं किया जा सकता था।शासी निकाय, जिसे निर्णय को पूरा करने का कर्तव्य सौंपा गया था, ने इसके कार्यान्वयन में अनावश्यक रूप से देरी की थी।हम इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते।

(21) अब खोया हुआ समय हमेशा के लिए चला गया है।हालांकि, आवश्यक कार्य बिना किसी देरी के किए जाने चाहिए।यह स्वीकृत पद है कि पदों का विज्ञापन पहले ही किया जा चुका है।यहां तक कि एक शुद्धिपत्र भी जारी किया गया था-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनर्कथन के साथ अनुबंध पी. 6 के माध्यम से।द.

उम्मीदवारों को 30 सितंबर, 1999 तक अपने आवेदन जमा करने होंगे।हम निर्देश देते हैं कि सहायक प्रोफेसरों के पदों के लिए सभी आवेदनों की रसीद की अंतिम तिथि के बाद दो सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी।चयन समितियों का गठन तुरंत किया जाएगा।चयन की प्रक्रिया 30 नवंबर, 1999 तक पूरी हो जाएगी।शासी निकाय को किसी भी विलंबकारी विधि को अपनाकर चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसके बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।इन पदों की नियुक्ति 15 दिसंबर, 1999 तक की जानी चाहिए।

(22) रिट याचिका को तदानुसार बिना खर्चा निस्तारित किया जाता है।

आर.ऐन.आर

अस्वीकरण *:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरूग्राम, हरियाणा

23670 एच. सी.-सरकार। प्रेस, यू. टी., सीएच. डी.

1